

21/5/2024 पेट्रोलकार एकाकार उपस्थित | अप्रार्थी अन्वु
अप्रार्थी की तलवी जर्ने नोरित की जाकर
पत्रावली फिनाक 8/5/2024 को पेशावे

85
2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी 1 अनुपस्थित एवं अप्रार्थी 2 उपस्थित। अप्रार्थी 2 की ओर से जर्ने वकील खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में अवमानक (sub standard) मावा का विक्रय करना पाया गया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। अतः अप्रार्थी 1. ओमप्रकाश वैष्णव पुत्र श्री देवलाल वैष्णव, खाद्यकारोबारकर्ता, मैसर्स-बृजवासी स्वीट होम, नारायण टाकीज चौराहा, सुकेत रोड रामगंजमंडी, जिला कोटा पर 5000/- रुपये (अक्षरे पांच हजार रुपये) 2. विजय वैष्णव पुत्र श्री ओमप्रकाश वैष्णव, (लाईसेंसी), मैसर्स- बृजवासी स्वीट होम, नारायण टाकीज चौराहा, सुकेत रोड रामगंजमंडी, जिला कोटा पर 5000/- रुपये (अक्षरे पांच हजार रुपये) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ने संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति. जिला क्लरकर
कोटा